...उप. नहीं। अप्रार्थी स. 9 की ओर से जवाब हेतु समय चाहा गया। अप्रार्थी स. 9 को आज दिनांक तक अनेक अवसर दिया जा चुका है। अतः अप्रार्थी स. 9 के जवाब का अवसर बन्द किया जाता है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू राज. अधि. 1956 पर एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अतः पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दि. 17/04/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

17/04/23
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप
पी. ओ. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे हैं। अत
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 21/05/23

21/05/23
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप
पी. ओ. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे हैं। अत
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 12/7/23

12/7/23
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप
पी. ओ. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे हैं। अत
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 16/8/23

16/8/23
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप
पी. ओ. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे हैं। अत
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 13/9/23

13/9/23
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप
पी. ओ. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे हैं। अत
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 19/9/23

19/09/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी स. 1 से 5 के वकील उप. नहीं। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अतः पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दि. 12/10/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

C./N. - 66/2022

12/10/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू. राज अधि. का स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से पत्रावली में शा. मि. किया गया।

अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 66/2022

1. कालूराम पुत्र श्री रतनलाल जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. बाबूलाल पुत्र श्री रतनलाल जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. मदनलाल पुत्र श्री रतनलाल जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. छोटी पत्नि हरजी जाति रेगर निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
2. जगदीश पुत्र रामसुख जाति रेगर निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
3. पूरण पुत्र रामसुख जाति रेगर निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
4. पांचू पुत्र रामसुख जाति रेगर निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
5. श्योजी पुत्र रामसुख जाति रेगर निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
6. जगदीश पुत्र नारायण जाति दरोगा निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
7. सांजा पत्नि रतन जाति गुर्जर निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
8. भंवरलाल पुत्र सुवा जाति गुर्जर निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांकः 12/10/2023

उपस्थितः सीमा वैष्णव प्रार्थीगण अभिभाषक

अप्रार्थी सं0 1 से 5 अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील सीमा वैष्णव के माध्यम से अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

2.1 प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या नये 51 पुराने 161 ख0नं0 795 रकबा 3.6567 हैक्टेयर भूमि ग्राम नलू पटवार हल्का नलू भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 में स्थित है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि से लगती हुई पूर्व दिशा में अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 की कृषि भूमि ख0नं0 787, 788, 792 व अप्रार्थी सं0 8 की कृषि भूमि ख0नं0 793 स्थित है तथा पश्चिम दिशा में भूमि ख0नं0 775 व 777 स्थित है जो राजकीय खाते की भूमि है। उत्तर दिशा में अप्रार्थी सं0 6 की भूमि ख0नं0 785 स्थित है व भूमि ख0नं0 786 गै0मु0 रास्ता की राजकीय खाता भूमि स्थित है। दक्षिण दिशा में अप्रार्थी सं0 7 की भूमि ख0नं0 1394/795 स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 से 8 के मध्य आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थीगण के खेत की सीमाओं को अप्रार्थी सं0 1 से 8 जुताई हंकाई करते समय तोड़ फौड़ करते रहते है तथा मौके पर विवाद उत्पन्न करते रहते है। अप्रार्थी सं0 1 से 8 लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू रहते है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि की चर्तुसीमा में पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण में कोई विवाद पैदा नहीं हो। प्रार्थीगण की भूमि पर पड़ौस के खातेदार अप्रार्थी सं0 1 से 8 नाजायज कब्जा करना चाहते है एवं प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमाओं को तोड़ते हुए नाजायज कब्जा करने पर उतारू है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 से 8 के मध्य प्रतिवर्ष कृषि भूमि की जुताई के समय सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता है। अप्रार्थी सं0 1 से 8 अपनी निर्धारित सीमा जोत में मौके पर पत्थरगढ़ी नहीं होने की ओट में प्रार्थीगण की कृषि भूमि में कब्जा करने का असफल प्रयास करते है जिसको मौके पर प्रार्थीगण की भूमि पर हदबन्दी करवाकर, उस पर पत्थरगढ़ी करवाकर के ही विवाद को रोका जा सकता है। प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर दिनांक 25.04.2022 को सीमाज्ञान किया गया था जिस अप्रार्थीगण मानने को तैयार नहीं है तथा आये दिन विवाद करते रहते है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढ़ी करवाने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण ग्राम नलू में दिनांक 20.04.2022 को उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थी सं0 1 से 8 ने प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं को नष्ट करने का असफल प्रयास किया तथा वाद कारण तब उत्पन्न होता है जब जब अप्रार्थीगण हंकाई जुताई के वक्त सीमाओं को तोड़ फोड़ कर देते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण की ग्राम नलू स्थित भूमि की चर्तुसीमाओं की पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से वकील श्री रामेश्वरलाल चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया एवं अप्रार्थी सं0 6, 7 व 8 के बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी सं0 9 के जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाब का अवसर बन्द किया गया।

3.1 अप्रार्थी सं0 1 से 5 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि यह सही है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0नं0 795 के लगती हुई पूर्व दिशा में अप्रार्थी/उत्तरकर्ता सं0 1 लगायत 5 की कृषि भूमि ख0नं0 787, 788, 792 स्थित है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि की पूर्व दिशा की मेड अप्रार्थी/उत्तरकर्ता की कृषि भूमि की पश्चिम दिशा की मेड आज से करीब 40–50 वर्षो से कायम की हुई है। उक्त सीमा मेड को लेकर ख0नं0 795 के पूर्व खातेदार एवं अप्रार्थी/उत्तरकर्ता के मध्य कभी भी कोई वाद विवाद नहीं हुआ था। अप्रार्थी/उत्तरदाता अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी/उत्तरदाता अपनी कृषि भूमि के चारो तरफ मिट्टी की डोल लगा कर मेड़ कायम कर रखी है। अप्रार्थी/उत्तरदाता ने प्रार्थीगण की भूमि पर कभी भी कब्जा करने का प्रयास नहीं किया है, न ही किसी तरह का कोई विवाद करते है। प्रार्थीगण ने उसकी भूमि का सीमाज्ञान अप्रार्थी/उत्तरदाता की मौजूदगी में नहीं करवाया गया है इसलिए अप्रार्थी/उत्तरदाता को प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान कब किया गया उसकी जानकारी नहीं है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि की पूर्व दिशा की सीमा कायम करने के लिए ग्राम नलू पटवार हल्का नलू गिरदावर हल्का पाटन स्थित पुराना चाह जिसके ख0नं0 758 किस्म गै0मु0 चाह क्षेत्रफल 0.0485 हैक्टेयर जो काफी पुराना/जुना है उक्त ख0नं0 758 के चाह को मुस्तकील पोईन्ट मानकर प्रार्थीगण की पूर्व दिशा की सीमा मेड़ कायम कर पत्थरगढ़ी करते समय उक्त मुस्तकील पोईन्टो से मिलान करना कानूनी रूप से आवश्यक है तभी सही सीमा कायम हो सकती है। तथाकथित दिनांक 20.04.2022 को अप्रार्थी/उत्तरदातागण के द्वारा प्रार्थीगण की भूमि की सीमा को नष्ट नहीं किया गया था। जबकि प्रार्थीगण व अप्रार्थी/उत्तरदातागण के मध्य जो सीमा कायम है वह आज से करीबन 40–50 साल पुरानी मेड़ सीमा कायम है जो मौके पर आज भी उसी स्थिति में बनी हुई है। दिनांक 20.04.2022 को किसी तरह का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। अप्रार्थी/उत्तरदातागण द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

कायम कर पत्थरगढ़ी करने से पूर्व ग्राम नलू के ख0नं0 758 गै0मु0 चाह जो काफी पुराना जुना मुश्तकील पोईन्ट है को मुश्तकील पोईन्ट कायम करके उक्त मुश्तकील पोईन्ट से जरीब चलाकर प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 795 की पूर्व दिशा की सीमा कायम की जाये ताकि वास्तविक सही स्थिति माननीय न्यायालय के समक्ष आ सके। अतः अप्रार्थी/उत्तरदातागण निवेदन किया कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे सहित निरस्त किया जावे।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी एक पक्षीय बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण की भूमि से लगती हुई पूर्व दिशा में अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 की कृषि भूमि ख0नं0 787, 788, 792 व अप्रार्थी सं0 8 की कृषि भूमि ख0नं0 793 स्थित है तथा पश्चिम दिशा में भूमि ख0नं0 775 व 777 स्थित है जो राजकीय खाते की भूमि है। उत्तर दिशा में अप्रार्थी सं0 6 की भूमि ख0नं0 785 स्थित है व भूमि ख0नं0 786 गै0मु0 रास्ता की राजकीय खाता भूमि स्थित है। दक्षिण दिशा में अप्रार्थी सं0 7 की भूमि ख0नं0 1394/795 स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 से 8 के मध्य आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थीगण के खेत की सीमाओं को अप्रार्थी सं0 1 से 8 जुताई हंकाई करते समय तोड़ फौड़ करते रहते है तथा मौके पर विवाद उत्पन्न करते रहते है। अप्रार्थी सं0 1 से 8 अपनी निर्धारित सीमा जोत में मौके पर पत्थरगढ़ी नहीं होने की ओट में प्रार्थीगण की कृषि भूमि में कब्जा करने का असफल प्रयास करते है जिसको मौके पर प्रार्थीगण की भूमि पर हदबन्दी करवाकर, उस पर पत्थरगढ़ी करवाकर के ही विवाद को रोका जा सकता है। प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर दिनांक 25.04.2022 को सीमाज्ञान किया गया था जिस अप्रार्थीगण मानने को तैयार नहीं है तथा आये दिन विवाद करते रहते है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढ़ी करवाने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण की ग्राम नलू स्थित भूमि की चर्तुसीमाओं की पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 795 रकबा 3.6567 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि है। सलंग्न राजस्व मानचित्र नक्शा में ख0नं0 795 रकबा 3.6567 हैक्टेयर भूमि का स्पष्ट अंकन है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर

उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला में स्थित प्रार्थीगण की सहखातेदारी ख0नं0 795 रकबा 3.6567 हैक्टेयर भूमि का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकारान् कि उपस्थिति में सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 12/10/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)